संख्या: 18 /2024 /822 / सत्रह-म-2024-17-1002(099)/1/2022

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2024

विषय: निषादराज बोट योजना के अन्तगर्त वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 499.9808 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-196/नि0शा0/ 2024-25 दिनांक 22 मई, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 800-अन्य व्यय, 06 निषादराज बोट योजना, 27- सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 499.9808 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निषादराज बोट योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 800-अन्य व्यय, 06 निषादराज बोट योजना, 27- सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 499.9808 लाख (रू0 चार करोड निन्यानबे लाख अटठानबे हजार अस्सी मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजनाहेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

5. अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
6. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
7. वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित करली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष नियंत्रक/अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार प्राप्त नही हो जाता है।
8. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथास्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र अथवा अन्य सक्षम / प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष नियंत्रक अधिकारी / द्वारा प्राप्त कीजानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्यप्राप्त कर ली जाये।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 4 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. निषादराज बोट योजना को प्रदेश में संचालित/क्रियान्वित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 31.03.2023 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों-का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 रू0 499.9808 लाख (रू0 चार करोड निन्यानबे लाख अटठानबे हजार अस्सी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 800-अन्य व्यय, 06 निषादराज बोट योजना, 27- सब्सिडी के के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by
Sunil Kumar Verma

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

Date: 15-06-2024 11:57:00

संख्या- /022/2024 /(1) /सत्रह-म-2024 तददिनांक 10/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।

(4) संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(5) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(6) सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

हरीश कुमार
अनु सचिव